इस्लाम में महिला अधिकार

प्रो. अख़्तरुल वासे

मुस्लिम महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के कई पक्षों पर भारतीय मीडिया और प्रेस अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते रहे हैं। निश्चित रूप से आधुनिक युग में महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस चर्चा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए या सनसनीख़ेज़ खबरें बना देने की होड़ में इसे केवल एक बिकने वाला समाचार बना देना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं से संबंधित विषयों पर लिखने वाले प्रायः उन तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देते जिनकी चर्चा किए बिना मुस्लिम महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को नहीं समझा जा सकता।

इस्लाम दुनिया का पहला मज़हब है जिसने स्त्री को सर्वाधिक अधिकार दिए हैं। ये अधिकार व्यापक और विस्तृत हैं। इनके द्वारा स्त्री को प्रगति, खुशहाली, मान, अधिकार और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। कुरान में स्पष्ट है कि मानव अधिकारों के आधार पर स्त्री-पुरुष बराबर हैं। जन्म के आधार पर स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं है और मानवीय आधार पर भी दोनों के अधिकार में कोई अंतर नहीं है। इस्लाम ने बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जीवन की एक सीढ़ी पर खड़े हैं। अपने चरित्र और सद्गुणों के द्वारा दोनों में से जो जितना ऊंचा चाहे, जा सकता है। इसमें लिंग भेद के आधार पर कोई बाधा नहीं है। इस्लामी इतिहास में रबिया बसरी ने श्रेष्ठता और उच्चता का वह स्थान प्राप्त किया जहां तक बड़े-बड़े सूफ़ी-संत नहीं पहुंच सके। अतः स्त्री मानवीय श्रेष्ठता और आत्मिक उन्नति में किसी से पीछे नहीं है।

संसार के अन्य धर्मों की तरह इस्लाम व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा को अनिवार्य स्वीकार करता है। इस्लाम का यह स्पष्ट आदेश है कि स्त्री और पुरुष को ज्ञानार्जन के समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि इस्लाम ज्ञान और जानकारी जैसे सशक्त उपकरण को केवल पुरुषों तक

सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि वह चाहता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह समक्ष, समर्थ और प्रभावी बनें। इस्लाम ने शिक्षा को ज़िम्मेदारी और कर्तव्य बताया है। हज़रत मुहम्मद स्त्री पुरुष दोनों को घर में, मस्जिद में और सभाओं में अवसर के अनुसार शिक्षा देते रहते थे। इसके अतिरिक्त वे हफ्ते में एक दिन स्त्रियों को विशेष रूप से शिक्षा देते थे। हज़रत मुहम्मद की पत्नी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में कहा गया है कि उनसे मुसलमानों को इस्लाम का एक तिहाई ज्ञान प्राप्त हुआ है। इतिहास में ऐसी कई नामवर महिलाएं हुई हैं जिनके ज्ञान और अनुभव से दुनिया ने लाभ उठाया है। अतः इस्लाम में लिंग के आधार पर स्त्रियों की शिक्षा पर कोई पाबंदी नहीं है।

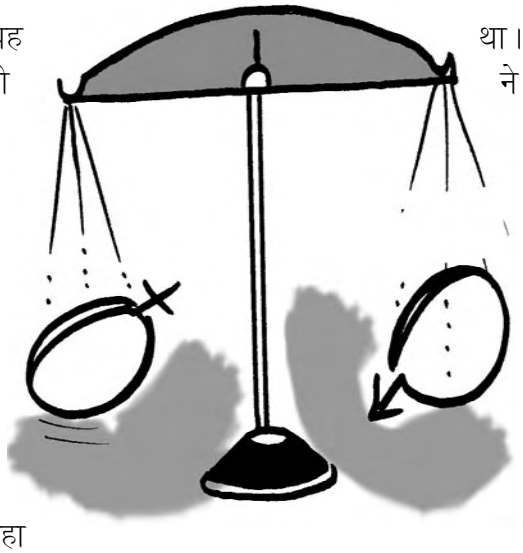

आर्थिक और व्यापार के क्षेत्रों में भी स्त्री की स्थिति और अधिकार पुरुषों के समान ही हैं। इस्लाम ने स्त्री को आजीवन कानूनी तौर पर स्थायी हैसियत प्रदान की हैं। बचपन में, युवावस्था में, विवाह पूर्व, विवाह पश्चात् पति से अलगाव के बाद माता-पिता या भाई-बहन के घर, या जहां कहीं भी हो, स्त्री के अस्तित्व को विशेष मान्यता प्राप्त है। किसी भी अवसर पर स्त्री का अस्तित्व दूसरे में समाहित नहीं हो पाता है। हर प्रकार के आर्थिक अधिकार किसी सामान्य व्यक्ति की भांति स्त्री को भी कानूनी तौर से प्राप्त रहते हैं। वह स्वयं अपनी सम्पत्ति अर्जित कर सकती है और जो कुछ उसके पास है या किसी अवसर पर उसे प्राप्त होता है वह अकेले उसकी स्वामिनी होती है। विवाह के अवसर पर वह जो कुछ साथ लेकर आती है उस पर उसके पति का नहीं बल्कि उसका स्वयं का अधिकार रहता है। विवाह के बाद भी अपने माता-पिता और भाई-बहन की सम्पत्ति में वह अपना पैतृक हिस्सा प्राप्त करती है। इस सम्पत्ति के उपयोग आदि के विषय में उसे पूरी कानूनी स्वतंत्रता और अधिकार रहता है।

हज़रत मुहम्मद के समय स्त्रियां अपना व्यवसाय करती थीं। हज़रत मुहम्मद की पहली पत्नी हज़रत ख़दीजा मक्का शहर की बहुत बड़ी और सफल व्यापारी थीं। उनके आयात और निर्यात का कारोबार दूर-दूर तक फैला हुआ था। विवाह से पूर्व हज़रत मुहम्मद ने उस समय के चलन के अनुसार हज़रत ख़दीजा के व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। इतिहास साक्षी है कि अनेक महिलाओं ने व्यापार में नाम और स्थान बनाया। इस्लाम की शिक्षाएं पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी रोज़गार हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि वे इस योग्य बन सकें कि न केवल अपना जीवन सुखमय गुज़ार सकें बल्कि अपने परिवार के लिए भी सहायक बन सकें।

ध्यान देने योग्य बात है कि इस्लाम स्त्रियों को व्यापक रूप से सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक गतिविधियों में भी पुरुषों के समान हिस्सा लेने के पूरे अधिकार देता है। इस्लाम के आरम्भिक दौर में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। हज़रत मुहम्मद ने हज़रत उम्मे-सलमा की राजनैतिक सूझबूझ और विवेक से लाभ उठाया था। हुबैदिया समझौता के समय हज़रत मुहम्मद के साथी भावात्मक रूप से विचलित थे क्योंकि प्रकटतः यह समझौता दबाव में और झुककर किया गया लगता था। इस समय हज़रत मुहम्मद ने अपनी पत्नी हज़रत उम्मे-सलमा की राय पर अमल किया। समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार हज़रत ज़ैनब की राजनैतिक सूझबूझ और सुदृढ़ चरित्र इतिहास का उज्ज्वल अध्याय है। हमारे देश भारत में बेगमाते भोपाल की राजनैतिक सेवाओं को कौन विस्मृत कर सकता है। उन्होंने हुकूमतों का बेहतरीन नेतृत्व किया और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

मुस्लिम महिलाओं में पर्दे की प्रथा भी बहस का मुद्दा बनती रही है। इसके संबंध में प्रायः अतिवादी रवैया अपनाया जाता रहा है। कुछ लोग पर्दे का नितांत विरोध करते दिखाई देते हैं तो कुछ लोग पर्दे के पूरे समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इस संबंध में इस्लाम का दृष्टिकोण स्पष्ट है। हिजाब या पर्दा इस्लाम में महिलाओं पर बंदिश या पाबंदी के रूप में नहीं रखा गया है। यह इस्लाम के आदेशों पर अमल करने का जज़्बा रखने वाली महिलाओं की पसंद और अधिकार का विषय है। वे पर्दे में अपना मान-सम्मान

और मर्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। पर्दे में वे न केवल मौसम के दुष्प्रभाव और प्रदूषण से स्वयं को बचा पाती है बल्कि यौन हिंसा और छेड़खानी से भी सुरक्षित रहती हैं। इन्हीं उद्देश्यों से इस्लाम ने स्त्री को पर्दे का आदेश दिया है। मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहकर शिक्षा, अध्यापन, नौकरी और व्यापार आदि के अवसरों का पूर्ण लाभ उठाना चाहती हैं। वे अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके परिवार, समाज और देश की उन्नति में अपना हाथ बंटाना चाहती हैं। पर्दा महिलाओं का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। समाज को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि हिजाब क्या है? कुरान और हदीस के निर्देश हैं कि ऐसा मेल-जोल जो महिलाओं की मान-मर्यादा के लिए ख़तरा बन सकता हो, उनके यौन हिंसा अथवा यौन शोषण का कारण बन सकता हो, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र रोका जाना चाहिए। पुरुषों पर पाबंदी लगाई गई है कि वह पर-स्त्री के एकांत में प्रवेश न करें। वास्तव में यही पर्दे की आत्मा है। काले कपड़े और बुर्के का वर्तमान स्वरूप असल उद्देश्य नहीं है। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आदेश है कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, क्योंकि ये शैतान के बाणों में से एक बाण है।

स्त्री से कहा गया है कि वह अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने निकट संबंधियों के सामने आ सकती है। वे अपने सरों के ऊपर चादर और अपने सीनों पर दुपट्टा डाल लें ताकि गैरों की कुदृष्टि से सुरक्षित रह सकें। कुरान और हदीस के निर्देशों के प्रकाश में फ़िक्ह (इस्लामी न्याय विधि) ने हिजाब (पर्दा) के संबंध में दो मत प्रकट किए हैं। पहला यह कि पर पुरुष के सामने जिस्म का कोई अंग नहीं खुलना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार चेहरा और हथेली खुले रह सकते हैं। इसी मत के अनुसार महिलाएं ऐसी वेशभूषा धारण करके (जिसमें शरीर ढका रहे और सर पर स्कार्फ़ हो) अपने मान-सम्मान की रक्षा करते हुए किसी भी सम्मानजनक कार्य या पेशे को अपना सकती है। जीवन और समाज की गाड़ी के लिए स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं। एक पहिए की कमी या कमज़ोरी से गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है।